न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्या – 251/2022

विनित कुमार पुत्र स्व.श्री विजय कुंमार पुत्र स्व.श्री रामचन्द जाति अग्रवाल निवासी हाउसिंग बोर्ड, हनुमानगढ़ जंक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ़।

––अपीलांट

बनाम

1. सावित्री देवी पत्नी स्व.श्री जगदीश चन्द्र जाति अग्रवाल निवासी श्रीगंगानगर (मृतक)

1/1. बलराम पुत्र स्व.श्री जगदीश चन्द्र (माता सावित्री देवी) जाति अग्रवाल निवासी 3 एच 22, जवाहर नगर, श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

1/2. बालकृष्ण पुत्र स्व.श्री जगदीश चन्द्र (माता सावित्री देवी) जाति अग्रवाल निवासी 3 जे 33, जवाहर नगर, श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

1/3. नन्दलाल पुत्र स्व.श्री जगदीश चन्द्र (माता सावित्री देवी) जाति अग्रवाल निवासी 1 जी 12, जवाहर नगर, श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

1/4. रुकमणी देवी
1/5. कृष्णा देवी
1/6. सुशीला देवी
1/7. उषा देवी
1/8. पुष्पादेवी

पुत्रीयान स्व.श्री जगदीश चन्द्र (माता सावित्री देवी) जाति अग्रवाल निवासी 1 जी 12, जवाहर नगर, श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

2. सुरेन्द्र कुमार पुत्र
3. ललित कुमार
4. संजय कुमार (मृतक)
5. महावीर प्रसाद

पुत्रगण स्व.श्री रामचन्द्र जाति अग्रवाल निवासी 38 गोल बाजार, श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

6. सरोज पुत्री रामचन्द्र पत्नी राज कुमार जाति अग्रवाल निवासी चाचाण चौक के पास, हनुमानगढ़ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ़।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

7. श्रीमती लक्ष्मी पत्नी स्व.श्री विजय कुमार पुत्र रामचन्द्र जाति अग्रवाल निवासी हाउसिंग बोर्ड हनुमानगढ़ जंक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ़।

8. तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

9. भावना पुत्री स्व.श्री विजय कुमार पत्नी अतुल जाति अग्रवाल निवासी खजानची चौक, हिसारिया बाजार, सिरसा तहसील व जिला हनुमानगढ़ (हरियाणा)

10. नगेन्द्र सिंह पुत्र गुरजंट सिंह पुत्र गुरदेव सिंह जाति जट सिख निवासी तलवाड़ा झील तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ (राज0)

——रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 225 आरटीए
विरूद्ध आदेश दिनांक 08.06.2001 व दिनांक 02.03.2005
द्वारा सहायक कलैक्टर, संगरिया शिविर टिब्बी
अनवान ''गुरदेव सिंह बनाम सावित्री आदि'' प्र. सं. 58/2001
उपस्थितिः—

श्री कृष्ण कुमार शर्मा, अधिवक्ता अपीलांट
श्री बालकृष्ण अग्रवाल अधिवक्ता रेस्पोडेंट 1 ता 7 व 9
श्री अशोक कुमार छोडा अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 10
श्री रविन्द्र कुमार भोबिया अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 8

निर्णय दिनांक 18.05.23

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि गुरदेव सिंह पुत्र श्री मेहर सिंह जाति जट सिख निवासी तलवाड़ा झील तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ ने अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया शिविर न्यायालय टिब्बी के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बअनवानी ''गुरदेव सिंह बनाम मु0 सावित्री आदि'' प्रस्तुत किया जो प्रकरण संख्या 58/2001 पर दर्ज रजिस्टर किया गया। गुरदेव सिंह ने इस प्रार्थना पत्र में कथन किया कि चक 1 जीजीआर खाता संख्या 143/138 पत्थर नम्बर 224/297 (43) किला नम्बर 2, 9, 12, 19, 22, पत्थर नम्बर 224/298 (57) किला नम्बर 3, 8, 17, 24, पत्थर नम्बर 227/299 (66) किला नम्बर 7 व पत्थर नम्बर 224/297 किला नम्बर 10, 11 दर्ज कागजात माल दर्ज है व तादादी 12 बीघा कृषि भूमि अप्रार्थीया संख्या—1 के नाम से रिकार्ड में गलत दर्ज है एवं इसी प्रकार चक नम्बर 1 जीजीआर के खाता संख्या 112/117 पत्थर नम्बर 234/299 मु0नं0 63 किला नम्बर 5, 6 तादादी 2 बीघा, किला नम्बर 15 तादादी 13 बिस्वा, इस खाता की तादादी 2 बीघा 13 बिस्वा अन्य काश्तकारों के साथ अप्रार्थी संख्या 2 ता 7 के नाम

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

गलत दर्ज हुई है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या–2 में अंकित कृषि भूमि अर्सा कदीम से प्रार्थी के कब्जा काश्त में चली आ रही है। प्रार्थी ने इसे बंजर से ना तोड़कर काबिल काश्त बनाया है। उक्त कृषि भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के लागू होने से पूर्व प्रार्थी के कब्जा काश्त में चली आ रही है एवं राजस्थान जमींदारी बिश्वेदारी उन्मूलन अधिनियम के लागू होने से समय प्रार्थी के कब्जा काश्त में थी एवं आज भी प्रार्थी के कब्जा काश्त में है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या–2 में अंकित कृषि भूमि का राजस्व लगान प्रार्थी अदा करता चला आ रहा है। प्रार्थी उक्त कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार है, लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 ता 7 ने प्रार्थी की पीठ पीछे राजस्व अधिकारियों एवं कर्मचारियों को मुगालता में रखते हुए उक्त कृषि भूमि राजस्व अभिलेख में अपने नाम से गलत दर्ज करवा ली जबकि अप्रार्थीगण का उक्त कृषि भूमि से कोई सम्बंध नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 ता 7 के नाम से राजस्व अभिलेख में की गई प्रविष्टि निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या–2 में अंकित कृषि भूमि नहरी है जिसका नहरी मामला प्रारम्भ से लेकर आज तक प्रार्थी अदा करता चला आ रहा है। अब अप्रार्थी संख्या 1 ता 7 के मन में बेजा लालच की भावना आ गई है एवं अप्रार्थी संख्या 1 ता 7 गलत प्रविष्टि के आधार पर प्रार्थी को विवादित कृषि भूमि से बेदखल करना चाहते हैं। अप्रार्थी संख्या 1 ता 7 ने नाजायज पार्टी बना रखी है। अप्रार्थी संख्या 1 ता 7 प्रार्थी को विवादित कृषि भूमि से बेदखल करने में सफल हो गये तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी एवं प्रार्थी को अन्य मुकदमाबाजी में उलझना पड़ेगा इसलिए प्रार्थी विरूद्व अप्रार्थीगण अस्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री इस आशय की जारी करवाने का अधिकारी व दावेदार है कि अप्रार्थी संख्या 1 ता 7 प्रार्थी की कृषि भूमि जिसका विवरण प्रार्थना पत्र की चरण संख्या–2 में अंकित है, प्रार्थी के उपयोग उपभोग व धारण में हस्तक्षेप करने से निषिद्व रहे। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या–2 में अंकित कृषि भूमि पर प्रार्थी का आधिपत्य प्रतिकूल धारण के आधार पर परिपक्व हो चुका है क्योंकि प्रार्थी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व ही इस कृषि भूमि पर काबिज चला आ रहा है एवं राजस्थान जमींदारी बिश्वेदारी उन्मूलन अधिनियम लागू होने अर्थात दिनांक 15.11.959 से पूर्व से ही आधिपत्य प्रार्थी का चला आ रहा है इसलिए प्रार्थी उक्त कृषि भूमि को राजस्व अभिलेख में अपने नाम से खातेदार दर्ज करवाने का अधिकारी व दावेदार है। अप्रार्थीगण ग्राम तलवाड़ा झील में आकर एलानियां तौर पर धमकी दे रहे हैं कि वे राजस्व अभिलेख की गलत प्रविष्टि के आधार पर वादग्रस्त कृषि भूमि का बेचान असामाजिक तत्वों को कर देंगे। अगर अप्रार्थीगण ऐसे गलत कृत्य में सफल हो गये तो प्रार्थी को अन्य मुकदमाबाजी में उलझना पडेगा इसलिए प्रार्थी विरूद्व अप्रार्थीगण अस्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री इस आशय की प्राप्त करने का अधिकारी व दावेदार है कि अप्रार्थीगण वादग्रस्त कृषि भूमि को रहन, बैय एवं अन्य तरीका से अन्तरित करने से निषेद्व रहे। अप्रार्थी संख्या–1 एवं अप्रार्थी संख्या 2 ता 7 के पिता रामचन्द्र ने समस्त तथ्यों को

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

छिपाते हुए तहसील टिब्बी के अनेक चकों में राज्य सरकार को धोखा देकर कृषि भूमि आवंटित करवाई एवं उसका गलत रूप से बेचान कर दिया जबकि अप्रार्थी संख्या 1 ता 7 कृषि कार्य नहीं करते हैं उनका मुख्य धन्धा व्यापार है। अप्रार्थीगण ने राजस्व अधिकारियों एवं कर्मचारियों को धोखा में रखकर कृषि भूमि आवंटित करवाई जिस सम्बंध में जिलाधीश श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 19.10.77 को निर्णय पारित किया गया जिससे यह साबित है कि अप्रार्थी संख्या 1 ता 7 ने गलत आधारों पर कृषि भूमि आवंटित करवाई है। प्रार्थी कृषक है खेती के अलावा प्रार्थी का कोई अन्य धन्धा नहीं है एवं प्रार्थी लघु काश्तकार है। प्रार्थी ने दिनांक 01.06. 2001 को अप्रार्थी के निवास स्थान पर जाकर निवेदन किया कि वादग्रस्त कृषि भूमि राजस्व अभिलेख में प्रार्थी के नाम अंकित करवा देंवे एवं प्रार्थी के उपयोग, उपभोग व धारण में हस्तक्षेप न करे एवं वादग्रस्त कृषि भूमि को रहन, बैय एवं अन्य तरीका से अन्तरित करने की कार्यवाही न करें लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 ता 7 प्रार्थी के निवेदन को मानने से कतई इन्कार हो गये। अप्रार्थी संख्या 1 ता 7 विवादित कृषि भूमि मुन्दर्जा दफा–2 में हस्तक्षेप करने में कामयाब हो गये तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है। प्रार्थी गुरदेव सिंह ने प्रार्थना पत्र पेश कर ताफैसला दावा अस्थाई निषेधाज्ञा चाही कि अप्रार्थी संख्या 1 ता 7 वादग्रस्त कृषि भूमि का बेचान करने, रहन, बैय एवं अन्य तरीका से अन्तरित करने से निषेद्व रहे व प्रार्थी के उपयोग, उपभोग व धारण में किसी तरह का हस्ताक्षेप करने से निषेद्व रहे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 08.06.2001 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर गैरसायलान की तलबी जारी करने व गैरसायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने के आदेश दिये। तत्पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 08.06.2001 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को मूल फैसला वाद तक स्थाई करने के आदेश दिनांक 02.03.2005 को पारित किये जिसके विरूद्व अपीलांट ने धारा 96 सी.पी.सी. व धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र सहित उक्त अपील इस न्यायालय में पेश की।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3- विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी मीमो ऑफ अपील के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि प्रश्नगत भूमि रामचन्द्र व सावित्री देवी की है तथा वर्तमान में प्रश्नगत भूमि पर रामचन्द्र व सावित्री देवी के वारिसान का कब्जा है। सावित्री देवी को यह भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं एसडीएम हनुमानगढ से अवार्ड में 1969 में प्राप्त हुई। प्रार्थी गुरदेव सिंह के साथ सावित्री देवी के पति व रामचन्द्र के बड़े भाई जगदीश के पारिवारित संबंध थे तथा जगदीश इनके घर पर ही जमीन जायदाद के कागज पानी पर्ची आदि रखता था। तथा इनको अथवा इनके कहने पर अन्य को भूमि बंटाई पर देता था। इसी बात का नाजायज फायदा उठाते हुए लालच में आकर घर पर रखे दस्तावेज को वादपत्र एवं प्रार्थना–पत्र के साथ प्रस्तुत कर मिथ्या आधारों पर स्थगन प्राप्त कर लिया प्रश्नगत भूमि में प्रार्थी गुरदेव सिह

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

का कोई हक व अधिकार नहीं है। रामचन्द्र ने उपरोक्त भूमि हरजीराम से जरिये रजिस्टर्ड बैयनामाखरीद की थी। तथा हरजीराम को यह भूमि अवाप्ति अधिकारी से अवार्ड में प्राप्त हुई है। अधीनस्थ न्यायालय ने आक्षेपित आदेश कतई गलत व विधि विरूद्ध पारित किया है तथा प्रार्थी गुरदेव सिह ने जानबूझकर अपीलाण्ट को पक्षकार नहीं बनाया जबकि अपीलाण्ट विजय कुमार का पुत्र है। आक्षेपित आदेश से अपीलाण्ट के अधिकार विपरीत रूप से प्रभावित है। धारा 5 मियाद अधिनियम पर बहस करते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने मूल राजस्व वाद में दिनांक 04.07.2022 को पक्षकार बनाया अपीलाण्ट ने दिनांक 04.05.2022 को ही अपीलाधीन आक्षेपित आदेश की नकल लेने हेतु आवेदन प्रस्तुत कर दिया जिसकी नकल अपीलाण्ट को दिनांक 14.07.2022 को प्राप्त हुई। अपीलाण्ट ने सहायक कलक्टर के आदेश दिनांक 08.06.2001 व 02.03.2005 की नकल लेने हेतु प्रभारी अधिकारी के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया हुआ है। लेकिन अपील प्रस्तुत करने तक नकल प्राप्त नहीं हुई है। अपीलार्थी ने अन्य प्रतिवादी के प्रार्थना–पत्र पर अन्तर्गत धारा 212 आदेश दिनांक 02.03.2005 की सत्य प्रतिलिपि प्राप्त की है। निवेदन कियाकि अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेशदिनांक 08.06.2001 व 02.03.2005 को अपास्त किया जावे।

4- रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ता 7 व 9 ने अपीलाण्ट की बहस का समर्थन करते हुए अपीलाधीन आदेश को अपास्त करने का निवेदन किया।

5- रेस्पोडेण्ट सं0 10 ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रश्नगत भूमि पर कभी भी सावित्री देवी अथवा रामचन्द्र का कब्जा काश्त नही रहा। दिनांक 27.11.1969 को अवार्ड जिलाधीश ने अपने आदेश दिनांक 29.10.1970 के द्वारा खारिज कर दिया इस आदेश के विरूद्ध सावित्री देवी ने रिट सं0 626/70 माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की। उच्च न्यायालय ने रिट स्वीकार करते हुए जिलाधीश का निर्णय निरस्त कर दिया तथा अपने निर्णय दिनांक 24.08.78 में यह आदेश दिया कि सावित्री देवी को सुनवाई का अवसर देते हुए पुनः निर्णय पारित करे। लेकिन कब्जे के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया गया। अवार्ड दिनांक 27.11.69 माननीय जिलाधीश के समक्ष विचाराधीन है, जिसमें अभी निर्णय होना है। सावित्री देवी ने राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष मुकदमा नं0 32/93 सावित्री देवी बनाम गुरदेव सिह प्रस्तुत किया, जिसमें सावित्री देवी ने गुरदेव सिह से कब्जा दिलवाये जाने का निवेदन किया लेकिन राजस्व मण्डल अजमेर ने दिनांक 10.05.94 को सावित्री देवी का प्रकरण खारिज कर दिया। प्रश्नगत भूमि पर गुरदेव सिंह का व उसकी मृत्यु के पश्चात् रेस्पोडेण्ट 10 का कब्जा चला आ रहा है। इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय में पानी की पर्ची व गिरदावरी प्रस्तुत की है। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ता 7 व 9 ने कोई जवाब प्रर्थना–पत्र प्रस्तुत नही किया न ही गुरदेव सिह के प्रार्थना–पत्र का खण्डन किया है। दफ़ा 5 मियाद अधिनियम पर बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलाण्ट ने अपने प्रार्थना–पत्र में पूर्व में अपील प्रस्तुत नहीं

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

करने का कोई कारण अंकित नहीं किया जबकि अपीलाधीन आदेश दिनांक दिनांक 02.03.2005 का है जबकि अपील दिनांक 18.07.2022 को प्रस्तुत की है। अपीलाण्ट ने अपने प्रार्थना–पत्र में यह अंकित किया है कि दिनांक 04.07.2022 को पक्षकार बनाया गया तथा उसी दिन नकल प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर दिया। अर्थात अपीलाधीन आदेश का शुरू से ही ज्ञान था मियाद में लाने में लाने के उद्देश्य से 04.07.2022 को पक्षकार बनने के कथन कर अपील प्रस्तुत की है। पूर्व में ज्ञान के बावजूद अपील प्रस्तुत नहीं करने का कोई कारण अंकित नहीं किया है। जबकि पूर्व में भी अपीलाण्ट बतौर तृतीय पक्षकार उक्त अपील प्रस्तुत कर सकता था। अपीलाण्ट की माता लक्ष्मी देवी पक्षकार थी इससे यह साबित है कि अपीलाण्ट को अपीलाधीन निर्णय का शुरू से ही ज्ञान रहा हैं। अपीलाण्ट ने प्रार्थना–पत्र दिनांक 06.06.2001 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की है, जो अधिवक्ता बालकिशन अग्रवाल द्वारा निकलवाई गई है। अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट सं0 1 ता 7 ने दुर्भि संधी कर मियाद बाहर अपील को अंदर मियाद लेने की गरज से दिनांक 04.07.2022 को पक्षकार बनाने का आधार लेकर अपील प्रस्तुत की है जो अंदर मियाद का आधार नही हो सकती है। लगभग 17 वर्ष पश्चात् अपील प्रस्तुत की है। अतः अपील अपीलाण्ट मियाद बाहर होने के आधार पर ही खारिज किये जाने योग्य है।

6- राज्य सरकार की और से बहस में निवेदन किया गया कि सावित्री देवी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र धारा 9 भू राजस्व अधिनियम 1956 दिनांक 10.05.94 को खारिज कर दिया गया है तथा प्रकरण में सावित्री देवी के अवार्ड दिनांक 27.11.1969 के संबंध में प्रकरण अभी जिलाधीश के समक्ष विचाराधीन है। अतः अपील खारिज की जावे।

7- उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

8- सर्वप्रथम धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र का निर्णय किया जाना उचित है। यह स्वीकृत तथ्य है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष लक्ष्मी देवी पत्नी विजय कुमार पक्षकार थी, जो अपीलाण्ट की माता है। अपीलाण्ट ने अपने प्रार्थना–पत्र में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 04.07.2022 को अपीलाण्ट को पक्षकार बनाये जाने व उसी दिन नकल प्राप्त करने का आवेदन प्रस्तुत करने के कथन किये। अपीलाण्ट ने अपने प्रार्थना–पत्र में यह कहीं भी अंकित नहीं किया कि अपीलाधीन आदेश का ज्ञान पूर्व में नहीं था, तथा यह भी अंकित नहीं किया कि उसे अपीलाधीन निर्णय का ज्ञान सर्वप्रथम कब हुआ। अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.03.2005 के विरूद्ध अपील करने की विहित समय में अपील प्रस्तुत की जा सकती थी। परन्तु पूर्व में अपील प्रस्तुत नहीं की तथा ना ही अपील नहीं प्रस्तुत करने का कोई कारण बताया है। अतः अपीलाण्ट का धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाता है। धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र खारिज होने के कारण अपील भी खारिज किये जाने योग्य है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

9- उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के अधार पर अपीलाण्ट का अपीलाण्ट का धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाता है। धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र खारिज होने के कारण अपील भी खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18.5.23 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

18/5/23

(करतारसिंह पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़